

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-31,  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
आफिस काम्पलेक्स, चतुर्थ तल, वृन्दावन योजना लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700

भारतीय मानक ब्यूरो  
Bureau of Indian Standards


SQMS

**परियोजना प्रारम्भ प्रमाण पत्र (Commencement Certificate)**

- परियोजना का नाम : 28 नग मध्यम आय वर्ग (80/122) प्रकार सेमीफिनिशड भवन, लोहरामऊ योजना सुल्तानपुर
- रेरा में पंजीकरण सं० : दिनांक
- प्रारम्भ दिनांक 02.01.2021
- समाप्ति दिनांक 01.01.2023
- परियोजना से संबंधित निर्माण/विकास कार्यो हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण :

क्र.सं.	विवरण	आई०डी० सं०	संदर्भ सं०	दिनांक
1	28 नग मध्यम आय वर्ग (80/122) प्रकार सेमीफिनिशड भवन,	199029	3860/SE(HQ)	11.10.2019

उपर्युक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां एवं उसमें संलग्न ले आउट प्लान परियोजना हेतु कार्य प्रारम्भ करने संबंधी प्रमाण पत्र (Commencement Certificate) की अर्हता को पूर्ण करती हैं। अतः उपरोक्त स्वीकृतियों के आधार पर परियोजना प्रारम्भ प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

  
**Executive Engineer**  
(डी०क० श्रीवास्तव)  
**Construction Div-31**  
अधिशासी अभियन्ता  
U.P. Avas Ewam Vikas Parishad  
Vrindhavan Yojna, Lucknow

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय मुख्य वास्तुविद नियोजक  
वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग  
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

Email-cap@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्रांक:

/वा0नि0/02/139

दिनांक / / 2020

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय वृत्त)  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद  
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

1491  
115  
24/5/20

विषय:-लोहरामऊ योजना, सुल्तानपुर के एकीकृत ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में। P52

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-31 के पत्रांक सं0-980/पी-52/102 दिनांक 14.09.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार लोहरामऊ योजना, सुल्तानपुर में पाकेट-ए का नियोजन एवं सम्पूर्ण योजना का एकीकृत ले-आउट प्लान तैयार किया गया है, जिस पर आवास आयुक्त(म0) द्वारा दिनांक 18.09.2020 को निम्न शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया :-

"Offer करने से पूर्व Add. Commissioner की अध्यक्षता में एक कमेटी बनवा लें जिसमें FC, CE, SE, ,and EE हो जो financial viability को देख लें।"

अतः स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निर्णय के क्रम में समिति गठित कराते हुए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(दिनेश कुमार)

मुख्य वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0 180

/उक्त/

तददिनांक 23/09/20

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को ले-आउट प्लान की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-31, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, चतुर्थ तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, प्रयागराज।

मुख्य वास्तुविद नियोजक